

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक:- 811

दिनांक:- 19.08.2016

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- सर्वश्री झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा रामचन्द्रपुर से जादुगोड़ा तक 132 के0वी0 डी0/सी0 ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु जमशेदपुर वन प्रमंडल अन्तर्गत 8.993 हे0 एवं सरायकेला वन प्रमंडल अन्तर्गत 3.852 हे0 कुल 12.845 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर का पत्रांक 1860 दिनांक 11.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सर्वश्री झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा रामचन्द्रपुर से जादुगोड़ा तक 132 के0वी0 डी0/सी0 ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु जमशेदपुर वन प्रमंडल अन्तर्गत 8.993 हे0 एवं सरायकेला वन प्रमंडल अन्तर्गत 3.852 हे0 कुल 12.845 हे0 वनभूमि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नतः है:-

1. इस परियोजना हेतु प्रमंडलवार/रकबावार प्रस्तावित वनभूमि की विवरणी निम्नवत् है :-

प्रमण्डल का नाम	सुरक्षित वनभूमि (हे0)	आरक्षित वनभूमि (हे0)	जंगल-झाड़ (हे0)	कुल वनभूमि (हे0)	वनस्पति घनत्व
जमशेदपुर वन प्रमण्डल	2.215	3.89	2.888	8.993	0.8
सरायकेला वन प्रमण्डल	2.642	0	1.21	3.852	0.0 to 0.3
कुल	4.857	3.89	4.098	12.845	

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र-I में परियोजना से संबंधित सूचना अंकित की गयी है।

3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल एवं सरायकेला वन प्रमंडल द्वारा निर्धारित प्रपत्र-II में परियोजना से संबंधित विवरणी अंकित करते हुए अनुशंसा की गई है। उक्त विवरणी संबंधित वेबसाइट पर अपलोड कर, दिया गया है। तत्संबंधित Timeline details प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

4. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के द्वारा प्रपत्र-III में वांछित सूचना एवं अपना मंतव्य अंकित किया गया है, जिसे संबंधित वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है । तत्संबंधित Timeline details प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।
5. प्रपत्र भाग – III 'A' में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर के द्वारा वांछित सूचना एवं मंतव्य अंकित किया गया है ।
6. प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु सक्षम स्तर से निर्गत अनुमति पत्र के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सर्वश्री झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड राँची के साथ किये गये एकरारनामा (Agreement) की छायाप्रति प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक – III के रूप में संलग्न है ।
7. प्रयोक्ता अभिकरण सर्वश्री झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड राँची द्वारा श्री आर०के० सैनी प्रबंधक पावरग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लि० को प्राधिकृत किये जाने संबंधी पत्र की प्रति, प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक – IV के रूप में संलग्न है ।
8. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक – V के रूप में संलग्न है ।
9. प्रस्ताव में सम्मिलित जंगल-झाड़ भूमि की विवरणी प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक – VI के रूप में संलग्न है ।
10. प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि के संबंध में वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक – VII के रूप में संलग्न है ।
11. प्रस्ताव में सम्मिलित जंगल-झाड़ वनभूमि के संबंध में संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक – VIII के रूप में संलग्न है ।
12. आईटम वार्डज ब्रेकअप ऑफ लैंड की विवरणी प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक – IX के रूप में संलग्न है ।
13. प्रस्तावित वनभूमि में अवस्थित वृक्षों की गणना सूची प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक – X के रूप में संलग्न है ।
14. प्रस्तावित जंगल-झाड़ भूमि में अवस्थित वृक्षों की गणना सूची प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक – XI के रूप में संलग्न है ।
15. परियोजना में न्यूनतम वनभूमि उपयोग से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक – XII के रूप में संलग्न है ।
16. लागत-लाभ विश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक – XIII के रूप में संलग्न है ।
17. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु आवश्यक राशि भुगतान के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक – XIV के रूप में संलग्न है ।
18. एन०पी०वी० हेतु आवश्यक राशि भुगतान हेतु प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक – XV के रूप में संलग्न है ।

19. प्रस्तावित वनभूमि में अवस्थित वृक्षों के पातन के संबंध में सूची शीघ्र समर्पित करने हेतु वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XVI के रूप में संलग्न है ।
20. 132 के०वी० ट्रांसमिशन लाईन का प्लान प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XVII के रूप में संलग्न है ।
21. प्रस्तावित वनभूमि का अक्षंश-देशान्तर की विवरणी प्रस्ताव के साथ - XXIII के रूप में संलग्न है ।
22. परियोजना को वनभूमि में स्थापित करने की औचित्यता के संबंध में स्वतंत्र संस्था से कराया गया Route feasibility प्रतिवेदन (टोपोशीट) प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XIX एवं XIX 'A' के रूप में संलग्न है ।
23. 1:50000 स्केल वाले मूल टोपोशीट पर लोकेशन मैप प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XX के रूप में संलग्न है ।
24. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का मौजाबार नक्शा प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XXI के रूप में संलग्न है ।
25. प्रस्ताव में सम्मिलित गैर मजरूवा भूमि के संबंध में संबंधित उपायुक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XXII के रूप में संलग्न है ।
26. इस परियोजना में वन प्रमंडल पदाधिकारियों के अनुसार किसी प्रकार का violation नहीं हुआ है ।
27. अतिरिक्त एन०पी०वी० हेतु आवश्यक राशि भुगतान करने के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XXIV के रूप में संलग्न है ।
28. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 12.845 हे० के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतू 26.00 हे० अवकृष्ट वनभूमि जमशेदपुर वन प्रमंडल अन्तर्गत घाटशिला प्रक्षेत्र के उपरपावरा में चयनित की गई है । उक्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित अवकृष्ट वनभूमि की विस्तृत विवरणी नक्शा के साथ जमशेदपुर वन प्रमंडल से संबंधित प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XXIX एवं XXIX 'A' के रूप में संलग्न है ।
29. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित अवकृष्ट वनभूमि का पोलीगन के साथ कोर्डिनेट्स वियरिंग की पूर्ण विवरणी जमशेदपुर वन प्रमंडल से संबंधित प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XXX के रूप में संलग्न है ।
30. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित अवकृष्ट वनभूमि का टोपोशिट में सीमांकन/रेखांकन जमशेदपुर वन प्रमंडल प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XXXI के रूप में संलग्न है ।
31. दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना का प्राक्कलन जमशेदपुर वन प्रमंडल प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XXXII के रूप में संलग्न है ।
32. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित वनभूमि की वनरोपण हेतु उपयुक्तता के संबंध में प्रमाण पत्र जमशेदपुर वन प्रमंडल से संबंधित प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XXXIV के रूप में संलग्न है ।
33. वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XXXIII के रूप में संलग्न है ।
34. जिले से संबंधित मूलभूत सूचनाएँ विहित प्रपत्र में प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XXXV के रूप में संलग्न है ।

35. प्रस्तावित पारेशन पथ में आनेवाला वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्य प्राणी आश्रयणी बायोस्फेयर रिजर्व, टाईगर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।

36. विषयोक्त प्रस्ताव अन्तर्गत याचित वनभूमि सिंहभूम गज आरक्ष्य क्षेत्र में पड़ता है। उपरोक्त प्रस्ताव से प्रभावित होने वाले वन क्षेत्र विशेष कर हाथी, Sloth Bear, Barking Dear, Reticulate Phyton, विभिन्न प्रकार के सरीसृप, पक्षियों आदि वन्य प्राणियों का पर्यावास तथा विचरण क्षेत्र है। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची से मंतव्य प्राप्त की जा रही है। मंतव्य प्राप्त होने पर अलग से भेज दी जायेगी।

37. अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य Part – IV में दर्ज है।

38. वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक – 08/10/2014 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित वेबसाइट पर अपलोड कर, दिया गया है। तत्संबंधित Timeline details पत्र के साथ संलग्न है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इस परियोजना के लिये कुल 12.845 हे० वनभूमि अपयोजन की अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी इससे सहमत हैं। लोकहित में 12.845 हे० वनभूमि अपयोजन की अनुशंसा की जाती है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर के प्रसंगाधीन पत्र के साथ जमशेदपुर एवं सरायकेला वन प्रमंडल से संबंधित प्राप्त विषयगत प्रस्ताव की 3-3 (तीन-तीन) प्रतियाँ सभी संबंधित अनुलग्नकों सहित stage – I की प्राप्ति हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक:— यथोक्त।

प्रत्येक वन प्रमंडल से तीन-तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

19.8.16

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

RAMCHANDARPUR TO JADUGODA 132 KV TL 12.845 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks.

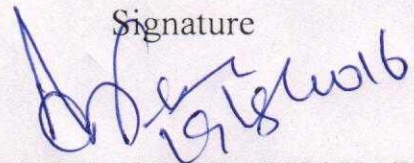
(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 12.845 ha. Forest land.

Date :- 19.08.2016

Place :- Ranchi

Signature



(ARUN KUMAR PRABHAKAR)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests

cum-Executive Director

Waste Land Development Board

Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)